कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 17(55) लेखा/जलेस/सा./प्रमुवसं./12–13/ दिनांक:

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव/एफ.सी.ए/विकास/भू–संरक्षण
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं परियोजना निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं जैवविविधता परियोजना, राजस्थान, जयपुर।
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य
सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक उदयपुर/ मुख्य वन संरक्षक आर.वी.पी. कोटा।

विषयः–वर्ष 2015–16 के विनियोग एवं वित्त लेखे तथा इन पर भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक के प्रतिवदेन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2015–16 में समाविष्ट वन विभाग से संबंधित अनुच्छेदों की समीक्षा हेतु जन लेखा समिति की बैठक बाबत्।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक एफ 17(55) लेखा/जलेस/सा./प्रमुवसं./12–13/ 7421–28 दिनांकः 22.12.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जन लेखा समिति वर्ष 2017–18 द्वारा दिनांक 19.01.2018 को प्रातः 11:00 बजे वर्ष 2015–16 के विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे तथा इन पर भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2015–16, में समाविष्ठ वन विभाग से सम्बंधित अनुच्छेदों की समीक्षा अंतिम पालना/क्रियान्वितीं का परीक्षण किया जायेगा।

संदर्भित पत्रांक द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था कि वर्ष 2015–16 के विनियोग लेखों में माँग संख्या 9, 30, 37, 51 के अन्तर्गत आपके कार्यालय से सम्बन्धित मदों की तथा सी.ए.जी. प्रतिवेदन (आर्थिक) वर्ष 2015–16 के अनुच्छेद संख्या 3.3 एवं 3.11 की आपके द्वारा पूर्व में प्रेषित पालना में यदि कोई संशोधन किया जाना है अथवा नवीनतम स्थिति अंकित की जानी है तो संशोधित पालना मय नवीनतम स्थिति मंगल फोण्ट में टाईप करवाकर निर्धारित प्रपत्र में तीन दिवस में भिजवायें। लेकिन आज दिनांक तक आप द्वारा कोई प्रतिउत्तर नही भिजवाया गया है।

अतः आप वर्ष 2015–16 के विनियोग लेखों में माँग संख्या 9, 30, 37, 51 के अन्तर्गत आपके कार्यालय से सम्बन्धित मदों की तथा सी.ए.जी. प्रतिवेदन (आर्थिक) वर्ष 2015–16 के अनुच्छेद संख्या 3.3 एवं 3.11 की आपके द्वारा पूर्व में प्रेषित पालना में यदि कोई संशोधन किया जाना है अथवा नवीनतम स्थिति अंकित की जानी है तो संशोधित पालना मय नवीनतम स्थिति मंगल फोण्ट में टाईप करवाकर निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 03.01.2018 तक भिजवाने की व्यवस्था करावें।

यह भी उल्लेखनीय है कि जन लेखा समिति के निर्देशानुसार जन लेखा समिति की बैठक में विचार–विमर्श हेतु उक्त विनियोग लेखों तथा सी.ए.जी. प्रतिवेदन के अनुच्छेदों की पालना को अंग्रेजी भाषा की प्रतियों में भी प्रस्तुत किया जाना है। आपके कार्यालय से सम्बन्धित पालना/नवीनतम पालना का अंग्रेजी संस्करण भी 03.01.2018 तक भिजवाने की व्यवस्था करावें। दिनांक 03.01.2018 तक आपका प्रतिउत्तर प्राप्त नही होने की स्थिति में आपके द्वारा पूर्व में प्रेषित जवाब को ही अन्तिम उत्तर मानते हुये अनुपालना राज्य सरकार को प्रेषित कर दी जावेगी।

भवदीय

– ह० –

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(HOFF),
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 17(55) लेखा/जलेस/सा./प्रमुवसं./12–13/7660–64 दिनांकः 29/12/17

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HOFF), राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (M.&.E) एवं नोडल अधिकारी, जन लेखा समिति, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रभारी कम्प्यूटर शाखा, अरण्य भवन जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

वित्तीय सलाहकार
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर